

## कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ— 309/1/सा.प्र.वि./विविध/2020/ ५६७

भिलाई, दिनांक १८-५-२०२०

// आदेश //

नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत निर्मित अधिकारी/कर्मचारी आवासगृह में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आवासगृह आबंटन आदेश की प्रत्याशा में निम्नांकित कर्मचारी आवासगृहों में निवासरत है, किन्तु अपरिहार्य कारणों से आबंटन आदेश जारी नहीं होने के कारण उनके वैतन से आवासगृहों का किराया एवं जलकर की राशि कटौती नहीं की जा रही है। अतएव निम्नलिखित अधिकारियों को निम्नांकित शर्तों पर कॉलम नं. 04 में दर्शित आवासगृह उनके द्वारा निवासरत् अवधि से आबंटित किया जाता है :—

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	आबंटित आवासगृह क्रमांक
1	2	3	4
1	श्री तरुणपाल लहरे	उपायुक्त	जी-०३ नेहरू नगर
2	श्री वैयं राजेन्द्र कुमार	प्रभारी शिक्षा अधिकारी	जी.ए. ०२ (७७ एम.एल.डी.)

शर्तों :—

- आवासगृह में स्वयं के नाम से विद्युत बीटर लगाकर इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा तथा विद्युत शुल्क स्वयं बहन करना होगा।
- नियमानुसार आवासगृह का किराया वैतन से वसूल किया जावेगा।
- नियमानुसार आवासगृह का जलकर वैतन से वसूल किया जावेगा।
- यह आबंटन केवल आवासीय उपयोग के लिये ही है। आवास का वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक उपयोग इसके अलावा अन्य को उपयोग हेतु किराये पर देना पूर्णतः प्रतिवंधित है, ऐसा पाया जाता है तो तत्काल आबंटन निरस्त कर बेदखली की कार्यवाही की जायेगी तथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर मूलभूत नियम 45 वीं अनुसार आवास का बाजार दर की दुगुनी दर से दाण्डिक किराया वसूल किया जावेगा।
- आवास को आवासीय उपयोग में नहीं लेकर ताला लगाकर रिक्त रखने पर आबंटन आदेश निरस्त कर निष्कासन किया जावेगा।
- आवासगृह तथा उसमें लगे विद्युत उपकरण एवं अन्य समान को आवासगृह रिक्त करते समय यथास्थिति वापस सौंपना होगा। तोड़-फोड़ तथा क्षति पहुंचाने की स्थिति में उस पर होने वाले व्यय की राशि वसूल किया जावेगा।

क्रमांक.....

7. — आबंटिती के स्थानांतरण, सेवामुक्त, पदच्युत होने प्रतिनियुक्ति पर जाने तथा 120 दिन से अधिक अवकाश पर रहने की रिस्ति में 07 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचना देना अनिवार्य होगा, तथा आबंटिती आवास धारण अनुमति लिये बिना आवासगृह को अधिपत्य में नहीं रख सकेंगे तथा अनाधिकृत रूप से अधिपत्य पर बिना विपरीत प्रभाव डाले इस अवधि के लिये बाजार दर से दुगुनी दर से किराया वसूल किया जावेगा।
8. — आबंटिती द्वारा आवासगृह से लगी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने, जानवर पालने, पड़ोसियों की सुख सुविधा में व्यवधान पैदा करने, किराया बकाया रखने या आवास अन्य व्यवित्त को किराये पर देने या स्वयं न रहने पर किसी भी समय आबंटन आदेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा आबंटिती के विरुद्ध अनाधिकृत रूप से अधिपत्य की अवधि का मकान किराया मूलभूत नियम 45 बी के तहत वसूल किया जावेगा।
9. — इस आदेश के द्वारा आबंटिती द्वारा आवासगृह का अधिपत्य लेने पर पूर्व में आबंटिती को नगर पालिक निगम, भिलाई के अन्य आवासगृह या निगम द्वारा आवेदन अग्रेषित करने या अनुशंसा करने पर अन्य संस्था का आवासगृह आबंटित हो तो तीन दिन के अवधि में रिक्त कर अधिपत्य सौंपना अनिवार्य होगा। अन्यथा दोनों आवासगृहों पर अधिपत्य होने के कारण आबंटन आदेश निरस्त करते हुए आबंटिती के विरुद्ध निष्कासन की कार्यवाही की जावेगी तथा दोनों आवासगृहों में से उच्च श्रेणी के आवासगृह का किराया उस क्षेत्र में प्रचलित बाजार भाव जो भी अधिक हो के अनुसार वसूल किया जावेगा।
10. — आबंटिती का स्वयं अथवा परिवार के सदस्य पति, पुत्र, पुत्री, माता अथवा पिता के नाम नगर पालिक निगम क्षेत्र के अंदर निजी मकान, शासन (नजूल विभाग) द्वारा प्राप्त आवासीय पटटा, आवासीय योजना के तहत आबंटित आवास होगा या क्रय किया जाता है तो आबंटित आवासगृह 07 दिन के अन्दर रिक्त कर उसकी लिखित सूचना दिया जाना होगा अन्यथा आवासगृह आबंटन स्वमेव निरस्त माना जावेगा और नियम अनुसार दाण्डिक किराया वसूल किया जावेगा।
11. — आबंटिती के परिवार के सदस्य पति, पुत्र, पुत्री, माता अथवा पिता को कोई शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं या नगर पालिक निगम, भिलाई में आवासगृह आबंटित है अथवा भविष्य में आबंटित हो जाये तो आबंटित आवासगृह 07 दिन के अन्दर रिक्त कर इसकी लिखित सूचना दिया जाना होगा अन्यथा आवासगृह आबंटन स्वमेव निरस्त माना जावेगा और नियम अनुसार दाण्डिक किराया वसूल किया जावेगा।
12. — यदि आवासगृह का सामान्य/दाण्डिक किराया तथा विद्युत शुल्क/जलकर आदि बकाया रहेगा और उसे स्वयं जमा नहीं किया जाता है तो वेतन अथवा देय स्वत्वों अथवा राजस्व के बकाया के रूप से राशि वसूलनीय होगा।

अमरा....

13. — प्रशासनिक कारणों से यह आवंटन आदेश किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त किया जावेगा तथा आवंटन आदेश निरस्त किये जाने पर सात दिवस के अन्दर आवासगृह रिक्त करना होगा।
14. — आवासगृह आवंटन/धारण करने एवं किराया के संबंध में समय-समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार विनियमित होगा।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

उपायुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई  
मिलाई, दिनांक १५-५-२०२०

पृ.क्र./एफ- 309/1/सा.प्र.वि./विविध/2020/५८४  
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता, जलकार्य/परियोजना नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. जोन आयुक्त, जोन 01 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवंटितियों के निवासरत् अवधि दिनांक की जानकारी अविलम्ब प्रेषित करें।
4. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. प्रोग्रामर डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
7. संबंधित श्री..... नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अध्यक्ष, छ.ग. स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
10. अध्यक्ष, छ.ग. कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

उपायुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई